कार्यालयः महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / 122 / 2014 / 06 लखनऊ : दिनांक–3/1/2018

–:: कार्यालय ज्ञाप ::–

सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सत्र 2014 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों जिनकी सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, उन अभ्यर्थियों को आवंटित नर्सिंग स्कूल में दिनांक 03.01.2018 से 15.01.2018 तक समस्त अभिलेखों का सत्यापन कर प्रशिक्षण हेतु अपनी योगदान आख्या निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. अभ्यर्थी अपनी दो पास पोर्ट साईज फोटो लेकर प्रशिक्षण संस्थान पर उपस्थित होंगे।
2. अभ्यर्थी हाई स्कूल अंक पत्र/इण्टर मीडिएट अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित (मूलरूप में प्रधानाचार्य/इन्चार्ज द्वारा मूल अभिलेख देखे जायेंगे।)
3. निर्धारित दिनांक 15.01.2018 तक योगदान न किये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण स्वतः निरस्त समक्षा जायेगा।
4. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित (मूलरूप में प्रधानाचार्य/इन्चार्ज द्वारा जाति प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा)।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला महिला/पुरूष चिकित्सालय अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण हेतु पूर्णतया स्वस्थ्य होने सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दो फोटो सहित उपस्थित हो कर प्रशिक्षण हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।
6. प्रशिक्षण में योगदान देने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. महिला उपचारिका छात्राओं को दो फाउण्टेन पेन, एक गोल नोक वाली कैंची (सर्जिकल सीजर), सेकेन्ड सूई, युक्त कलाई घड़ी, दो सफेद साड़ी, दो सफेद हाफ स्लीव गोल, कालर ब्लाउज, दो सफेद पैटीकोट, (पुरूष छात्रों हेतु सफेद पैण्ट शर्ट) एक जोड़ी सफेद फीतेदार जूता, चार जोड़ी सफेद लम्बे मोजें, चार पलंग चादरें पोस, एक रजाई या कम्बल, एक छाता/बरसाती/एक टार्च साथ लाना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित वस्त्रों का प्रबन्ध आपको अपने स्तर पर स्वयं करना होगा, जो कि प्रशिक्षण केन्द्र की प्रिंसिपल ट्यूटर संरक्षण में बनवाये जायेंगे। प्रशिक्षण पर आने से पूर्व यदि आपके पास छोटा बच्चा हो तो उसके देखभाल का समुचित प्रबन्ध करके ही प्रशिक्षण पर आएं।
8. इस प्रशिक्षण काल में तीन परीक्षायें प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी।
9. सरकारी आदेशों के अनुसार आपको पूर्ण निष्ठा तथा सामर्थ्य के साथ मन लगाकर दक्षतापूर्वक अपना अध्ययन तथा प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण काल में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, दुराचरण, चिकित्सा अथवा नर्सिंग हास्टल में नियमों का उल्लघंन या जानबूझकर अकर्मण्यता आदि के आवांछित दोष में लिप्त पाये जाने पर आपको तत्काल प्रशिक्षण से पृथक कर दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण से पृथक करने की तिथि तक जितनी भी धनराशि छात्रवृत्ति कि रूप में प्रदान की गयी होंगी, उसे ब्याज सहित आपसे वसूला जायेगा। प्रशिक्षण प्रवेश के समय गर्भवती होना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता/अक्षमता मानी जायेगी, और तदानुसार प्रशिक्षण हेतु किया गया चयन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि आप प्रशिक्षण काल में गर्भवती हो जाती है तो प्रसव के समय यदि

आप चाहें तो आपका प्रशिक्षण काल 4 माह स्थगित किया जा सकता है। तत्पश्चात यदि आप अपने प्रशिक्षण के लिए वापस न आयीं तो आपको प्रशिक्षण को निरस्त माना जायेगा तथा छात्रवृत्ति की धनराशि वापस लिया। प्रशिक्षण के मध्य अवकाश अवधि में आपको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

10. यह प्रशिक्षण आपकी दक्षतावाहन हेतु है। प्रशिक्षण के उपरान्त राजकीय सेवा में लिया जाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. नियमानुसार मानदेय देय होगा।

संलग्नक–सूची

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / 122 / 2014 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित चिकित्सालय के प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित की निर्धारित तिथि 15.01.2018, 05:00 बजे तक योगदान देने वाले चयनित अभ्यर्थियों की सूचना व योगदान न करने वाले अभ्यर्थियों को सूचना विशेष पत्रवाहक के द्वारा दिनांक 16.01.2018 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, निर्धारित तिथि व समय समाप्त होने के पश्चात् आप किसी भी दशा में किसी भी प्रशिक्षार्थी की योगदान आख्या स्वीकार नहीं करेंगे।

1. निदेशक एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर, चिकित्सालय, लखनऊ।
2. निदेशक एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, गांधी स्मारक एवं संबद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0 चिकित्सालय, आगरा।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0वी0बी0पी0 चिकित्सालय, मेरठ।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बरेली।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0आर0एन0 चिकित्सालय, इलाहाबाद।
10. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)